भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2005

सं.310–3(1)/2003–इको : भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 (1) (बी) (i) के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसचांर विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में आगे निम्नानुसार संशोधन करता है :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

(iii) यह आदेश "दूरसंचार टैरिफ (चालीसवां संशोधन) आदेश, 2005" (2005 का 7) कहा जाएगा।

(iv) यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. 8 सितम्बर, 2005 के दूरसंचार टैरिफ (उन्तालीसवां संशोधन) के अनुसूची X में मद सं. (1) कार्यान्वित किए जाने की तारीख के सामने टैरिफ शीर्ष के अंतर्गत दी गई मौजूदा प्रविष्टि "16.09.2005" के स्थान पर "अलग से अधिसूचित किए जाने की तारीख से" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

सामान्य

इस आदेश के किसी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में किसी भी प्रकार के संदेह होने की स्थिति में, प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

इस आदेश के अनुबंध – क में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में यह संशोधन करने के कारण स्पष्ट किए गए हैं।

आदेशानुसार

(एम. कन्नन)
सलाहकार (आर्थिक)

<u>अनुबंध – क</u>

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. प्राधिकरण ने 8 सितम्बर, 2005 को दूरसंचार टैरिफ (उन्तालीसवां संशोधन) अधिसूचित किया था। मैसर्स विदेश संचार निगम लिमिटेड ने इस आदेश को अपील सं. 10/2005 के अंतर्गत 12 सितम्बर, 2005 को माननीय दूरसंचार विवाद निपटान तथा अपीलीय अधिकरण (टीडीसैट) में चुनौती दी है।

2. इस अपील की 14 सितम्बर, 2005 को टीडीसैट में सुनवाई हुई। अधिकरण ने अपने 14.09.2005 के आदेश में कहा कि यह प्रतिवादित अधिसूचना तब तक के लिए आस्थगित रखी जाए जब तक अधिकरण द्वारा इस मामले में निर्णय नहीं दे दिया जाता है और इसी कारण यह आदेश जारी किया जा रहा है।